**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Need to enhance the rate of compensation for loss of horticulture and cash crops due to natural calamities - laid

**श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) :** हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे संतरा, किन्नू कैश क्रॉप जैसे- जीरा, ईसबगोल आदि की प्रारंभिक लागत बहुत ज्यादा है, साथ ही प्राकृतिक आपदा से खराब होने की स्थिति में एसडीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार इस श्रेणी की फसलों में खराब होने की स्थिति में कृषि आदान-अनुदान मात्र 18000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, जो अत्यंत कम है। इसलिए इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम 50000 रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिक किया जाना अत्यंत आवश्यक है। चूंकि इस हेतु नियमों में परिवर्तन करना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मामला है और राजस्थान के मुख्य सचिव ने 11 मई, 2016 को इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार भी किया था। इसलिए इस श्रेणी की फसलों हेतु आदान-अनुदान की सीमा को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर करने हेतु गृह मंत्री जी से अनुरोध है, ताकि किसानों को राहत मिले।